तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 20/2025 जीसीएमएस : 2025/48 सुभाषचन्द्र आदि बनाम एरिका गोदारा आदि वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188,209 आरटीएक्ट	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
19.12.2025		

वकील पक्षकारान उपस्थित। बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से मुश्तरका खाता में चक 22 जीवी खाता सं. 119 के प.नं. 155/410 मु.नं. 2 के कि.नं. 1 ता 25 का 6.034है. नाली दोयम व खाता सं. 115 के प.नं. 155/412 मु.नं. 8 में कि.नं. 1 ता 25 का 6.325है. नाली दोयम रकबा संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड चला आ रहा है। उक्त समस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वजों को 1927 में गंगनहर आने के समय से प्राप्त हुई कृषि भूमि है कुछ भूमि वाद में खरीदशुदा है। जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों का एवं उनके पश्चात् वादीगण एवं प्रतिवादीगण अंकित खरीददारान सह खातेदारों का कब्जा काश्त निरन्तर लगातार चला आ रहा है। भूमि को आपसी सहमति एवं रजामन्दी से घरेलू वंटवारानामा से किला वाईज सहमति विभाजन किया हुआ है। वादीगण को उक्त घरेलू वंटवारानामा अनुसार विशिष्ट किलाजात का विभाजन कर खातेदार टिनेन्ट घोषित करने हेतु निवेदन किया गया है।

प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1 से 4, 13, 14, 17, 18, 20 से 29 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। प्रतिवादी सं. 5 से 12, 15,16,19 जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाव पेश कर वाद पत्र पेश कर वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है, कथन किया है। प्रतिवादी सं. 30 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीविजयनगर के विरूद्ध वादीगण द्वारा कोई विशिष्ट अनुतोष नहीं चाहा गया है। वादीगण के अधिवक्ता अपनी बहस में कथन किया है कि प्रतिवादीग सं. 30 को भूमि धारक होने के कारण औपचारिक पक्षकार बनाया गया है, राज्य सरकार के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं है।

प्रकरण में किसी प्रतिवादी द्वारा वाद पत्र के संबंध में आपत्ति एतराज प्रकट नहीं किये जाने के कारण वाद बिन्दुओं की रचना नहीं की गई। चूंकि प्रकरण में उपस्थित प्रतिवादीगण के द्वारा वाद पत्र के तथ्यों को स्वीकार कर लिया गया है, ऐसी स्थिति में वाद पत्र सहमति आधार पर डिक्री किया जाना उचित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाता है वादीगण को चक 22 जीवी खाता सं. 115 में दर्ज प.नं. 155/412 मु.नं. 8 की कुल 6.325है. नाली दोयम का किलावाईज अद्योलिखित अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है :–

1	**वादी सं. 1** सुभाष	कि.नं. 4/0.004, 5, 21 ता 25 का 1.518 कुल 1.522है. नाली दोयम
2	**वादी सं. 2** दयाराम	कि.नं. 8/0.126 पश्चिमी पासा, 9,10 का 0.506 कुल 0.632है. नाली दोयम
3	**वादी सं. 3** राजेन्द्र कुमार	कि.नं. 1, 2 का 0.506, 3 में 0.234 कुल 0.740है. नाली दोयम
4	**वादी सं. 4 ता 6 संयुक्त रूप से** गणेशाराम–राजाराम–शान्ति देवी	कि.नं. 3 का 0.019है., 4 में 0.249 कुल 0.268है. नाली दोयम
5	**वादी सं. 7** रायसिंह	कि.न. 11 [illegible] 12/0.042, 13–14–15 में [illegible]759 [illegible]/0.105, 20/ 0.106 कुल 1.054है. [illegible] दोयम
6	**वादी सं. 8** मदनलाल	कि.नं. 16–17 में 0.759, 19/ 0.148, 20/0.14[illegible] कुल 1.054है. नाली दोयम
7	**वादी सं. 9** शिशुपाल	कि.नं. 6,7 में 0.506, 8/0.127 पूर्वी पासा, 11/0.211 उत्तरी पासा, 12/ 0.211 कुल 1.055है. नाली दोयम

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:45:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 20/2025 जीसीएमएस : 2025/48 सुभाषचन्द्र आदि बनाम एरिका गोदारा आदि वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188,209 आरटीएक्ट	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
	तहसीलदार श्रीविजयनगर उपर्युक्तानुसार वादीगण के नाम से भूमि का पृथक–पृथक खाता में अमल दरामद करें। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी हो। **निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 19.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।** पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। शकुन्तला R.A.S. उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:45:07 IST
Reason: SelfAttested